

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 06/2022 (बांसवाड़ा डिक्री)

ग्राम पंचायत बिछावाड़ा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा राजस्थान
जरिये सरपंच

..... अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक, जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, पोस्ट मोटाटाण्डा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. सुश्री चन्दा पुत्री स्व. भरत नायक, नाबालिग वलिये संरक्षिका श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक, जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, पोस्ट मोटाटाण्डा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. सुश्री सलोनी पुत्री स्व. भरत नायक, नाबालिग वलिये संरक्षिका श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक, जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, पोस्ट मोटाटाण्डा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. लक्ष्यराज पुत्र स्व. भरत नायक, नाबालिग वलिये संरक्षिका श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक, जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, पोस्ट मोटाटाण्डा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 07/2022 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. ताजेंग पिता लालेंग पाटीदार, निवासी गांव कराणा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भंवरसिंह पिता प्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासी सलाडिया, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक, जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, पोस्ट मोटाटाण्डा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. सुश्री चन्दा पुत्री स्व. भरत नायक, नाबालिग वलिये संरक्षिका श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक, जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, पोस्ट मोटाटाण्डा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. सुश्री सलोनी पुत्री स्व. भरत नायक, नाबालिग वलिये संरक्षिका श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक, जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, पोस्ट मोटाटाण्डा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)



4. लक्ष्यराज पुत्र स्व. भरत नायक, नाबालिग वलिये संरक्षिका श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक, जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, पोस्ट मोटाटाण्डा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान
का.अ.-1955 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड
अधिकारी, घाटोल निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 04.03.2021 प्र.सं. 40/2019

---/---

- उपस्थित :- 1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलान्त (प्र.सं. 6/22)
2. श्री सोहनलाल चरपोटा अभिभाषक अपीलान्त (प्र.सं. 7/22)
3. श्री राजकुमार जैन अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4

-----::-----

निर्णय

दिनांक 27-06-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता/पति श्री भरत नायक ने तहसीलदार गनोड़ा के विरुद्ध एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 1841 रकबा 0.12 एयर एवं 1842 रकबा 0.13 एयर कुल कित्ता 2 रकबा 0.25 एयर भूमि ग्राम कराणा में स्थित होकर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त हाल आराजीयात के साबिक आराजी नंबर 1138 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा थे। वक्त सेटलमेन्ट सहवन ने नक्शा ट्रेस में गलत डिमार्केशन कर दिया गया, जबकि वादी बहैसियत खातेदार काबिज है। अतः वादी को आराजी नंबर 1841 रकबा 0.12 एयर एवं 1842 रकबा 0.13 एयर कुल कित्ता 2 रकबा 0.25 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाकर नक्शा ट्रेस में रकबे के हिसाब से नपती कर नक्शा ट्रेस में पैमूदगी की जावे।

प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 7 तनकियां कायम की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 04-03-2021 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की।

उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 04-03-2021 से रूष्ट होकर अपील संख्या 6/2022 ग्राम पंचायत बिछावाडा ने प्रस्तुत की तथा अपील संख्या

7/2022 ताजेंग व भंवरसिंह द्वारा दिनांक 04-05-2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 40/2019 दिनांक 04-03-2021 को पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध होने तथा विवादित आराजियात समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपील संख्या 6/2022 के विद्वान अभिभाषक ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 1840 रकबा 0.33 एयर भूमि का आवंटन/तरमीम वादी/रेस्पोंडेन्ट को किया गया है, जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व की होकर ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा के लिए आरक्षित भूमि है, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत बिछावाड़ा द्वारा दिनांक 11-10-2019 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना पक्षकारान बनाये एवं बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जिससे उनके हित अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अपील संख्या 7/2022 के विद्वान अभिभाषक ने भी अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 1840 पर अपीलान्टगण का पैत्रक कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजी के चारों ओर बागड/पत्थर की दीवाल बना रखी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना पक्षकारान बनाये एवं बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जिससे उनके हित अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पॉन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी घाटोल के निर्णय से अपीलान्तगण के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अपीलान्तगण व्यथित व्यक्ति नहीं हैं। सरकार की भूमि पर अपीलान्तगण का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में विवादित आराजी नंबर 1840 रकबा 0.33 हैक्टर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04-03-2021 से उक्त आराजी नंबर 1840 रकबा 0.33 हैक्टर में से 0.13 हैक्टर भूमि कम करते हुए आराजी नंबर 1841 में मिलाने का आदेश दिया है। इस सन्दर्भ में अपील संख्या 6/2022 के अपीलान्त ग्राम पंचायत का कथन है कि विवादित आराजी नंबर 1840 रकबा 0.33 हैक्टर ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा के लिए आरक्षित भूमि है, जबकि इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार हम अपीलान्त ग्राम पंचायत को प्रकरण में प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार नहीं पाते हैं।

जहां तक ताजेंग व भंवरसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 7/2022 का प्रश्न है, अपीलान्तगण का कथन है कि विवादित आराजी नंबर 1840 रकबा 0.33 हैक्टर पर उनका पैत्रिक कब्जा है, किन्तु पैत्रिक कब्जे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सरकारी भूमि बाबत दिये गये आदेश से हम अपीलान्तगण को प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार नहीं पाते हैं।

अतः दोनों अपीलों के अपीलान्तगण हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार साबित नहीं होने से धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र खारिज किये जाकर दोनों अपीलों खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04-03-2021 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27-06-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासप्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा, तहसील बनाम श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक,
गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, तह0
गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....06 / 2022.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....घाटोल..... मुकाम.....मुवर्खे.....04.....माह.....03.....2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....27.....माह.....06.....सन् 2024 रुबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री महेन्द्र सिंह राठौड़.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री राजकुमार जैन
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपीलान्ट हितबद्ध
एवं आवश्यक पक्षकार साबित नहीं होने से धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र
खारिज किया जाकर अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय
का निर्णय व डिक्री दिनांक 04-03-2021 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....27.....माह.....06.....2024
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासप्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

ताजेंग पिता लालेंग पाटीदार, नि० बनाम श्रीमती मीना पत्नी स्व. भरत नायक,
गांव कराणा, तहसील गनोडा, जाति बन्जारा, निवासी टाण्डा, तह०
जिला बांसवाड़ा व अन्य गनोडा, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....07 / 2022.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....घाटोल..... मुकाम.....मुवर्खे.....04.....माह.....03.....2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....27.....माह.....06.....सन् 2024 रुबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री सोहनलाल चरपोटा.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री राजकुमार जैन
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपीलान्तगण
हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार साबित नहीं होने से धारा 96 जा.दी. का
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ
न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04-03-2021 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रुपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....27.....माह.....06.....2024
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रु०	पै०	रेस्पोंडेन्ट	रु०	पै०
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।